झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट)-सत्र

वर्ग- 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 23 फाल्गुन, 1941(श) को 13 मार्च, 2020 (ई०) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा० संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
245	सा०-01	श्री सुदिव्य कुमार,	ट्रामा सेन्टर खोलना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	18/02/20
246	श्रनि०-06	श्री केदार हजरा,	आई०टी०आई० खोलना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	23/02/20
247	रा०-28	श्री चमरा लिण्डा,	प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	29/03/20
248	स०-18	श्री केदार हजरा,	स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	23/02/20
249	श्रनि०-15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	नियोजन केन्द्र खोलना।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	01/03/20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
250-रा0-44	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	भुगतान कराना।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	07/03/20
251-रा0-21	डॉ0 इरफान अंसारी,	मालगुजारी की वसूली।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	24/02/20
252-स0-30	सुश्री अम्बा प्रसाद,	भवन का निर्माण।		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	25/02/20
253-रा0-27	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	मुआवजा दिलाना।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	28/02/20
254-श्रनि0-04	डॉ0 लम्बोदर महतो,	आई0टी0आई0 प्रारंभ कराना।		श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	23/02/20
255-रा0-24	श्री निरल पुरती,	मुआवजा का भुगतान।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	28/02/20
256-रा0-04	श्री बिनोद कुमार सिंह,	मुआवजा देना।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	20/02/20
257-रा0-02	श्री सुदिव्य कुमार,	एस0आर0ए0कोर्ट चालू कराना।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	18/02/20
258-रा0-29	श्री किशुन कुमार दास,	राजस्व ग्राम घोषित करना।		राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	29/02/20
259-स0-46	श्री भूषण बाड़ा,	चिकित्सकों का पदस्थापन।		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20

कृ0पृ030-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
260	स0-58	श्रीमती पुष्पा देवी,	चिकित्सा कर्मी की प्रतिनियुक्ति।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	04/03/20
261	श्रनि0-14	श्रीमती ममता देवी ,	कारखाना अधिनियम का अनुपालन।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	01/03/20
262	स0-34	डॉ0 इरफान अंसारी,	ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र चालू कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	25/02/20
263	स0-57	श्री रामदास सोरेन,	कर्मियों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	04/03/20
264	स0-23	श्री उमाशंकर अकेला,	ट्रामा सेन्टर की स्थापना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	23/02/20
265	रा0-42	श्री चमरा लिण्डा,	जमीन वापस कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	04/03/20
266	स0-53	श्री मनीष जायसवाल,	दोषियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	03/03/20
267	स0-21	श्री भानु प्रताप शाही,	एम्बुलेंस सेवा बहाल कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	23/02/20
268	श्रनि0-13	श्रीमती ममता देवी,	आई0टी0आई0 कॉलेज चलाना।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	01/03/20
269	रा0-40	श्री रामदास सोरेन,	मुआवजा देना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	04/03/20

कृ0पृ0उ0-

1. 2.	3.	4.	5.	6.
270-स0-59	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	संचालन पर प्रतिबन्ध।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	07/03/20
271-स0-56	श्री नारायण दास,	चिकित्साकर्मी का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	04/03/20
272-स0-20	श्री अनन्त कुमार ओझा,	स्थायी बंदोबस्ती।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	24/02/20
273-स0-33	श्री राजेश कच्छप,	अधिगृहित भूमि वापस लौटाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	29/02/20
274-स0-39	श्री निरल पुरती,	भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
275-स0-14	श्री बन्धु तिर्की,	जमीन वापस कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	23/02/20
276-श्रनि0-10	श्री डुलू महतो,	मान्यता दिलाना।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	29/02/20
277-स0-51	श्री भूषण बाड़ा,	ए0एन0एम0 की सेवा नियमित करना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	01/03/20
278-स0-25	श्री अनन्त कुमार ओझा,	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
279-श्रनि0-16	श्री अमित कुमार यादव,	पठन-पाठन शुरू कराना।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	01/03/20

कृ०पृ०उ०—

1.	2.	3.	4.	5.	6.
280-स0-28	श्री दशरथ गागराई,	भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	24/02/20
281-रा0-36	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	आश्रितों को नौकरी।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	01/03/20
282-स0-13	डॉ0 लम्बोदर महतो,	मेडिकल कॉलेज खोलना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
283-स0-48	श्री अमित कुमार यादव,	भवन पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	01/03/20
284-रा0-13	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	अतिक्रमण मुक्त कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	23/02/20
285-स0-14	श्री सोनाराम सिंकू,	अधूरे भवन को पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
286-श्रनि0-09	श्री दुलू महतो,	नियोजन कार्यालय खोलना।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग	28/02/20
287-रा0-22	श्री कमलेश कुमार सिंह,	खतियान ऑनलाईन कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	24/02/20
288-रा0-38	श्री अमित कुमार मंडल,	S.P.T.एक्ट को C.N.T एक्ट के समतुल्य बनाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	02/03/20
289-स0-09	श्री बिनोद कुमार सिंह,	प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र प्रारम्भ कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
290-स0-32	श्री कमलेश कुमार सिंह,	स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।		25/02/20
*291-का0-03	श्री अमित कुमार मंडल,	नियुक्ति कराना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।		20/02/20
292-रा0-09	श्री बंधु तिर्की,	जमीन वापस कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग		20/02/20
293-श्रम0-12	श्री किशुन कुमार दास,	पठन-पाठन चालू कराना।	श्रम नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग		29/02/20
#294-रा0-11	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	दोषी पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग		23/02/20
295-रा0-17	सुश्री अम्बा प्रसाद,	राजस्व की वसूली।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग		24/02/20
296-स0-55	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	स्वास्थ्य सेवा बहाल कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।		04/03/20
297-रा0-41	डॉ0 नीरा यादव,	न्यूनतम मूल्य का निर्धारण।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग		04/03/20

नोट :- *का-03 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-1510, दिनांक- 26/02/2020 द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थान्तरित।

रा-11 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, के ज्ञापांक- 900, दिनांक- 05/03/2020 द्वारा उद्योग विभाग में स्थानांतरित।

राँची
दिनांक- 13/03/2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-06/2020.....970...../वि0स0, राँची, दिनांक- 11.3.20

प्रति - झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2020

(रामअशीष यादव)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-06/2020.....970...../वि0स0, राँची, दिनांक- 11/3/20

प्रति - माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव 11.03.2020
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-06/2020.....970...../वि0स0, राँची, दिनांक- 11/3/20

प्रति - कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

11.03.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

11/03/20

(245)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला मुख्यालय में ट्रामा सेंटर के नहीं होने से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का ईलाज नहीं होने से मृत्यु हो जाती है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्तमान में ट्रामा सेंटर से संबंधित मरीजों का प्राथमिक उपचार सदर अस्पताल, गिरिडीह में करने के पश्चात मेडिकल कॉलेज धनबाद/राँची रेफर किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला मुख्यालय में एक ट्रामा सेन्टर खोलना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	गिरिडीह जिले में Level III ट्रामा सेन्टर खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–1/2020..... 84 (15) दिनांक– 5-3-2020

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 33 दिनांक– 18.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री केदार हाजरा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० श्र०नि०–06 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हाजरा, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ तथा देवरी प्रखण्ड में एक भी सरकारी आई0टी0आई0 महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में एक भी आई0टी0आई0 महाविद्यालय नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को कौशल विकास के क्षेत्र में गरीब–छात्र–छात्रा को वंचित होना पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ प्रखण्ड तथा देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में आई0टी0आई0 महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गिरिडीह जिलान्तर्गत गिरिडीह सदर में एक सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है।

ह0/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–06/2020श्र0नि0– 385 रॉंची दिनांक– 11/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप सं०–225, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sari\Rahul\Vidhan Sabha\03-06-2020.docx

247

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–28 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का पत्रांक–3672, दिनांक –27.09.2019 के द्वारा उपायुक्त, राँची के अरगोड़ा मौजा स्थित खाता नं0–44, प्लॉट नं0–440, रकबा–84 डी0 भूमि का जमाबंदी से संबंधित वाद संख्या–24R27/1956-57 फर्जी है या नही का रिर्पोट मांगा गया था ;	स्वीकारात्मक।
	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, राँची द्वारा अबतक रिर्पोट विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है :–	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पत्रांक नं0–3672 दिनांक–27.09.2019 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिवेदन को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपायुक्त, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत वाद 24R27/1956-57 जो काफी पुराना लगभग 65 वर्ष पूर्व का है, जिसकी जाँच की जा रही है। 30 मार्च 2020 तक जाँच पूर्ण कर विभाग को संसूचित कर दी जाएगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0(तारां0)–59 / 2020 964 / रा0, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–498 वि0स0, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\win 8\Desktop\Bidhansabha ques. answ. 2020.docx (Hema)

248

श्री केदार हजरा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के कारोडीह तथा देवड़ी प्रखण्ड के भेलवाघाटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड 1 के स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को जमुआ मुख्यालय करीब 15 किलो मीटर तथा देवरी मुख्यालय करीब 16 कि0 मी0 की दुरी तय करने के पश्चात् भी सरकार द्वारा दी जानेवाली सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होना पर रहा है;	अस्वीकारात्मक। जमुआ प्रखण्ड के ग्राम कारोडीह से 02 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित स्वा0 उपकेन्द्र चितरडीह में कार्यरत कर्मियों के द्वारा कारोडीह के ग्रामीणो को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देवरी प्रखण्ड के ग्राम भेलवाघाटी से 05 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कोयरीडीह, 06 कि0मी0 पर अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, तिलैया एवं 02 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित स्वा0 उपकेन्द्र, जगसीमर में कार्यरत कर्मियों के द्वारा ग्राम भेलवाघाटी के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा ससमय उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ प्रखण्ड के कारोडीह तथा केवरी के भेलवाघाटी में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जमुआ प्रखण्ड के कारोडीह तथा केवरी के भेलवाघाटी में स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–14/2020...86(15) राँची/दिनांक– 11-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 217 दिनांक– 23.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

249

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–15 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला नियोजनालय केन्द्र संचालित हो रहा है, जिससे सुदूरवर्त्ती इलाके के छात्र/छात्राओं को नियोजन केन्द्र में रजिस्ट्रेशन कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त विशेष परियोजना क्षेत्र यथा तोरपा, चाण्डिल, किरीबुरू, चक्रधरपुर, घाटशिला, आदित्यपुर, सिन्दरी, कुमारधुबी, तेनुघाट, बोकारो थर्मल एवं ललमटिया में नियोजन कार्यालय कार्यरत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखंड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत नियोजन केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्यान्तर्गत सभी नियोजन कार्यालयों के अलावे प्रखण्ड मुख्यालयों में भी निबंधन शिविरों का आयोजन कर स्थानीय युवक/युवतियों के निबंधन की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य के युवाओं को नियोजनालय में निबंधन हेतु ऑनलाईन वेबपोर्टल www.jharkhandrojgar.nic.in उपलब्ध है, जिसपर आवेदक कभी भी कहीं से अपना निबंधन स्वयं भी कर सकते हैं।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स सं०–0651–2490958 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–19/2020श्र०नि०– 363 राँची दिनांक–06/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–607, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-19-2020.docx

(250)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–44 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
	श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड में एन०टी०पी०सी० के द्वारा कोल खदान में उपयोग किये गये भूमि अधिग्रहण में किसानों को रैयती भूमि की तरह गैर मजरूआ भूमि का प्रति एकड़ 20,000,00 (बीस लाख) रूपये का भुगतान किया जाना था, परन्तु वर्तमान में संवेदकों द्वारा गैर मजरूआ भूमि को प्रति एकड़ 300,000(तीन लाख) रूपये भुगतान कर जबरन खदान खोला जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड में एन०टी०पी०सी० लिमिटेड द्वारा एन०टी०पी०सी० की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के क्रम में कार्यकारी निदेशक, एन०टी०पी०सी०, हजारीबाग के पत्रांक–80 दिनांक–04.04.2015 के आलोक में किसानों को रैयती भूमि हेतु 20.00 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एन०टी०पी०सी० द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को रैयती भूमि के तर्ज पर गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा प्रति एकड़ 20,000,00 (बीस लाख) रूपये की दर से भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी./भू०अ०नि० वि०स०(तारां.)–47/2020...141...(8)/रा., राँची, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–861/वि.स., दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20

सरकार के अवर सचिव

(251)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सा०वि० स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–21 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सा०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या बात सही है कि एस०पी०टी० एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रधानों को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या बात सही है कि वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाईन मालगुजारी वसूल किया जा रहा है जिससे सीधे प्रधान के अधिकारों का हनन किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या बात सही है कि सचिव, भूमि सुधार विभाग, पत्रांक सं०–05/2175, दिनांक–18.01.2019 के तहत् ग्राम प्रधान को ऑफलाईन लगान वसूलने का आदेश दिया है, जिसे जिला प्रशासन इस आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–2175/रा0, दिनांक–18.06.2019 के अंतर्गत मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगणैत, पराणिक, जोगमुझी, कुडाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार के पारंपरिक छूटे हुए लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने का निदेश सभी उपायुक्त, झारखण्ड दिया गया है। वास्तव में विभागीय ज्ञापांक–2174/रा0, दिनांक–18.06.2019 द्वारा मानकी/मुण्डा/ग्राम प्रधान को संबंधित अंचलों में लगान एवं सेस की वसूली करने तथा वसूल की गई राशि सरकार के खाते में जमा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व के भांति ग्राम प्रधान के द्वारा सीधे मालगुजारी वसूल करने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–02 एवं 03 एवं स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6/वि०स० (तारा०)–53/2020 970/रा0 राँची, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–441/वि०स०, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:Revenue/Vidhansabha Ques. /All Ques./ teresa

(252)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 30 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिलान्तर्गत प्रखण्ड पतरातू में बन रहे 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पिछले 8–10 वर्षों से अधर में लटका हुआ है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि विभागीय अर्द्धसरकारी स्मार पत्रांक–315, दिनांक 01.03.2019 द्वारा रामगढ़ जिलान्तर्गत 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण योजना की पुनः प्राक्कलन की मांग उपायुक्त से की गयी थी ;		स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्र मिलने के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि योजना से संबंधित अभिलेख अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा जब्त कर लिए जाने के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने में कठिनाई है।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्र पूरा करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतरातु के भवन निर्माण से संबंधित अभिलेख एवं मापी पुस्तिका अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा जब्त कर ली गई है। अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची से अभिलेख प्राप्ति के उपरांत उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा विभाग को पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/चि0वि0स0 (ता0)– 07/20– 201(6)स्वा0, राँची, दिनांक: 05·03·2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 383/वि0स0, दिनांक– 25.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
अवर सचिव।

(213)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–27 का प्रश्नोत्तर:–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि 22 दिसम्बर, 1980 भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत गजट के आलोक में तत्कालीन हजारीबाग जिला, वर्त्तमान में (रामगढ़) जिला अंतर्गत ग्राम–बसंतपुर, प्रखंड–माण्डु का कुल रकबा–640 एकड़ (लगभग) भूमि कोयला धारक क्षेत्र अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 को तहत् अधिसूचना सं0–981, दिनांक–22 दिसम्बर 1980 को अधिग्रहित की गई।</td><td>सी.सी.एल. परियोजना द्वारा अधिसूचना सं0–981 E , दिनांक–22.12.1980 से मौजा बसंतपुर में C.B. ACT, 1957 के तहत् कुल 640.00 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>रैयती भूमि</th><th>गैरमजरू आ भूमि</th><th>गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी</th><th>अधिसूचित वन भूमि</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>197.50ए.</td><td>128.40 ए.</td><td>शून्य</td><td>314.10 ए.</td><td>640 ए.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित अधिनियम अंतर्गत रैयतों को मुआवजा एवं नौकरी देने का प्रावधान है, परंतु उक्त अधिनियम् का उल्लंघन कर उक्त सभी रैयतों को अबतक उचित मुआवजा एवं नौकरी नहीं दी गयी है।</td><td>रैयती भूमि 197.50 एकड़ के विरूद्ध 1883631.93 रू0 का मुआवजा सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा स्वीकृत किया गया है।
रैयती भूमि 173.05 ए0 एवं गैरमजरूआ बन्दोस्त भूमि 51.22 ए0 के विरूद्ध 101 व्यक्तियों को नौकरी दिये जाने की स्वीकृति सी.सी.एल. प्रबंधन के द्वारा दी गई है। रैयती भूमि के लिए अबतक 76 व्यक्तियों को एवं गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि के बदले 09 व्यक्तियों को सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा नौकरी दी जा चुकी है। शेष 16 व्यक्तियों को पारिवारिक विवाद एवं वैध उत्तराधिकारी नामित नहीं किये जाने के कारण नौकरी लम्बित है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि उचित प्रतिकार का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बंदोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम् 2013 के तहत् रैयतों के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान है,</td><td>भू–अर्जन अधिनियम् 2013 अंतर्गत निहित् प्रावधान अनुसार रैयती भूमि पर लागू है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उर्पयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित रैयतों को खंड–3 में वर्णित अधिनियम् के आलोक में मुआवजा एवं नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6बी0/भू0अ0नि0 वि0स0(तारां)–31/2020 144 (4) रा0, राँची दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–459/वि0स0, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

254

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–04 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेनुघाट राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों पूर्व स्वीकृत हैं तथा निर्धारित मानक के अनुरूप भवन निर्माण कार्य पूर्ण है, किन्तु अनुदेशक/अन्य कर्मचारियों के अभाव में उपर्युक्त दोनों संस्थानों में अभी तक शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं होने के कारण क्षेत्र के हजारों शिक्षित बेरोजगार छात्र–छात्राओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार एवं तेनुघाट को प्रारंभ कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बोकारो जिला अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसमार को संचालन हेतु Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS) द्वारा Empanelled Training Service Provider मेसर्स चाणक्या फांउडेशन चाणक्यनगर, रूपसपुर, खगोल नगर, पटना (बिहार) को दिनांक 07.03.2019 को आवंटित किया गया है उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेरमो (तेनुघाट) बोकारो को संचालन हेतु JSDMS द्वारा Empanelled Training Service Provider M/S Frontline Global Services (P)Ltd राँची को दिनांक 05.09.2019 को आवंटित किया गया है उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–04/2020श्र०नि०– 376 राँची दिनांक– 11/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–224, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sam\Rahul\Vidhan Sabha\03-04-2020.docx

(255)

श्री निरल पुरती, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–24 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न		उत्तर
	श्री निरल पुरती, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मझगाँव–जैतगढ़ नोवामुण्डी पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में स्थानीय रैयतों का भूमि अधिग्रहण किया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में अधिग्रहित भूमि में से दो मौजा बलियापोसी एवं खैरपाल के रैयतों के भूमि का मुआवजा अब तक भुगतान नहीं किय गया है, जिसके कारण वहाँ के रैयत आन्दोलन करने की स्थिति में है;		राशि के अभाव में प्रश्नगत पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना के दो मौजा–बलियापोसी एवं खैरपाल सहित अन्य 11 मौजों के रैयतों को भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। कुछ ग्रामों में औपबंधिक मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित पथ चौड़ीकरण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के कार्यालय पत्रांक–359 (बी.)/भू0अ0, दिनांक–08.07.2017 एवं पत्रांक–82 (बी)/भु0अ0, दिनांक–13.02.2018 के द्वारा पथ प्रमण्डल, चाईबासा से 193758465.00 (उन्नीस करोड़ सैंतीस लाख अनठावन हजार चार सौ पैंसठ) रूपये के अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है, जो अबतक अप्राप्त है। पूर्व में प्राप्त आवंटन 19144980.00 (एक करोड़ इक्यानवे लाख छः हजार दो सौ तेईस) रूपये का रैयतों के बीच मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के कार्यालय पत्रांक–850(बी.)/भू0अ0, दिनांक–29.12.2019 के द्वारा सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची से उपरोक्त अंकित आवंटन की मांग की गयी है। विभागीय पत्र संख्या–129/रा, दिनांक–06.03.2020 द्वारा पथ निर्माण विभाग से आवंटन की मांग की गयी है, जो अबतक अप्राप्त है। अतिरिक्त आवंटन की राशि प्राप्त होते ही प्रश्नगत परियोजना के सभी ग्रामों के रैयतों के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान प्रारंभ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी./भू0अ0नि0 वि0स0(तारां)–32/2020 140 (8)/रा., राँची, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–458/वि.स., दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prasnuttar 2020.docx

(256)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–04 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में जी०टी० रोड चौड़ीकरण में अरकाडीह के रैयतों को जिनका वर्षों से आवास बना है, उन्हें कृषि दर पर मुआवजा निर्धारित किया गया है ;	विभागीय संकल्प संख्या–478 दिनांक–31.08.2018 द्वारा अर्जनाधीन भूमि के खतियान में निहित प्रकृति/प्रकार एवं वर्तमान स्वरूप तथा प्रकार के बिन्दु पर विवादों को दूर करने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित कर भूमि के वास्तविक प्रकृति/प्रकार अथवा वर्गीकरण के आधार पर किस्म विनिश्चित करने का निदेश है । तदनुसार उक्त संकल्प के आलोक में भू–अभिलेख/दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों तथा अर्जनाधीन भूमि के वास्तविक प्रकृति/प्रकार अथवा वर्गीकरण के आधार पर अवार्ड घोषित किया गया है । जिस पर NHAI से अनुमोदन प्राप्त है ।
2	क्या यह बात सही है कि बगोदर में घंघरी, बेको, हेसला बगोदरडी, जरमुने समेत अन्य रैयतों की जिनका आवास बना है, उन्हें आवासीय दर पर मुआवजा दिया गया है ।	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समानता व भूमि की वास्तविक आज की प्रकृति के आधार पर अरका में आवास मालिकों को आवासीय दर पर मुआवजा देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । विभागीय आदेश संख्या–1046 दिनांक–30.12.2015 द्वारा NHAI परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा/विवादों के निपटारा हेतु संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता को पंच (Arbitrator) नियुक्त किया गया है । रैयत चाहे तो पंच (Arbitrator) का सहारा ले सकता है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–08/भू०अ०नि०वि०स०(तारां0)–22/2020.137/नि०रा०, राँची, दिनांक–12-03-202

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप संख्या–85/वि०स०, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की प्रति के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–02 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में एस० आर०ए० कोर्ट के बन्द होने से यहाँ जमीन संबंधी हजारों मामले लम्बित हो गये है, जिससे आमजनों में मायूसी है;	अस्वीकारात्मक। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71A के अंतर्गत भूमि वापसी की कार्रवाई की जाती है। उक्त प्रदत्त शक्ति के तहत् भूमि वापसी से संबंधित मामलों की सुनवाई विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। जिन जिलों में एस०ए०आर० पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है वहाँ अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर वादों का निष्पादन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राँची जिला के एस०ए०आर० कोर्ट के लिए एक पद सृजित है। दो अतिरिक्त विशेष विनियमन पदाधिकारी को पदों का एक वर्ष की अवधि हेतु सृजन किया गया था। इन दो पदों का अवधि विस्तार पर सहमति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग दिनांक–08.03.2018 को संचिका पृष्ठांकित की गयी थी, उक्त के आलोक में कार्मिक विभाग द्वारा मंतव्य के साथ संचिका दिनांक–28.02.2020 को वापस किया गया। उक्त के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक मंतव्य के लिए दो अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	यदि खण्ड–1 का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में एस०आर०ए० कोर्ट को शीघ्र चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि०स०(तारां०)–44/2020– 961 /रा०, दिनांक– 12-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–32 वि०स०, दिनांक–18.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\win 8\Desktop\Bidhansabha ques. answ. 2020.docx (Hema)

(258)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–29 का प्रश्नोत्तर :–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड के बहेरा पंचायतन्तर्गत बिलारी गाँव की जनसंख्या 3000 है ;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिलारी गाँव को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित नहीं किया गया है ;		स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिलारी गाँव को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		विभागीय अधिसूचना सं0–30/रा0, दिनांक–03.01.2020 द्वारा जनगणना 2020–21 के लिए दिनांक–01.01.2020 से 31.03.2021 तक झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाईयों यथा जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद/वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना है। उपर्युक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् सर्वे मैनुअल के प्रावधान के अनुरूप इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई हेतु विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–2/राज0स्था0 विधानसभा (तारांकित)–10/2020.....967.....(2)/रा0 राँची, दिनांक– 12-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–499/वि0स0, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

(259)

श्री भूषण बाड़ा, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० – स–48 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला स्थित सदर अस्पताल सिमडेगा में कुल 115 चिकित्सकों का पद स्वीकृत होने के बावजूद 27 चिकित्सक एवं 3 तीन कार्यक्रम पदाधिकारी ही कार्यरत है :	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिलान्तर्गत विभिन्न संस्थानों हेतु कुल 115 चिकित्सकों का पद स्वीकृत है। जिले में कुल 31 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3 कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यरत है। सदर अस्पताल, सिमडेगा में कुल 31 चिकित्सकों का पद स्वीकृत है जिसमें 12 चिकित्सक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल सिमडेगा में विभागवार, एनेस्थिस्या, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, चर्मरोग विशेषज्ञ ई0एन0टी0 आदि विशेषज्ञ कार्यरत नहीं रहने के कारण सिमडेगा जिला के गरीब मरिजों के ईलाज कराने में काफी कठिनाई हो रही है :	आंशिक स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, सिमडेगा में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में पैथोलॉजिस्ट, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है। एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, ई0एन0टी0 चिकित्सक का पद रिक्त है।
3.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा सदर अस्पताल में चिकित्सकों के कमी के कारण ब्लड बैंक भी वर्षों से बन्द है :	स्वीकारात्मक। चिकित्सा पदाधिकारी के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप रक्त अधिकोष, सदर अस्पताल, सिमडेगा दिनांक 22.11.2019 से बन्द था। विभागीय अधिसूचना के आलोक में दिनांक 25.02.2020 को रक्त अधिकोष, सदर अस्पताल, सिमडेगा हेतु एक चिकित्सक ने योगदान किये है। योगदान के पश्चात् विभागीय निदेश के आलोक में रक्त अधिकोष सदर अस्पताल, सिमडेगा का संचालन दिनांक 03.03.2020 से प्रारंभ कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमडेगा सदर अस्पताल, में शेष 85 चिकित्सकों की पदस्थापन कराने एवं ब्लड बैंक शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने का विचार इसी वित्तीय वर्ष रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–11/2020 92(3) राँची, दिनांक: 4/3/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–465/वि0स0 दिनांक 28.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2020

(प्रभुनाथ शर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(260)

श्री पुष्पा देवी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 58 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र००	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं दवा के अभाव में मरीजों का समुचित ईलाज नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला के छतरपुर अनुमण्डलीय अस्पताल में मरीजों का समुचित ईलाज किया जाता है।
2-	क्या यह बात सही है कि मरीजों को ईलाज हेतु निजी क्लीनिक पर निर्भर रहना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। सभी मरीजों का ईलाज अनुमण्डलीय अस्पताल, छतरपुर में किया जाता है एवं निजी क्लीनिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सक एंव चिकित्सा कर्मी की प्रतिनियुक्ति तथा दवा सहित समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पस्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-23/2020 85(15) राँची, दिनांक– 11-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 737 दिनांक– 04-03-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(2C1)

श्रीमती ममता देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0– 14 हेतु उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1	क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला अन्तर्गत आने वाले कारखानों में मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;	रामगढ़ जिला के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने संबंधी कोई भी मामला संज्ञान में नहीं है।
2	क्या यह बात सही है, कि क्या रामगढ़ जिला में अवस्थित (क) बिहार फॉउड्री कारखाना, रामगढ़ (ख) झारखण्ड इस्पात कारखाना, हेसला (ग) जय माँ छिन्नमस्तिका आयरण स्पंज कारखाना, हेहल (घ) दयाल इंडस्ट्री, कैथा (ड) आलोक स्टील एंड आयरन स्पंज कारखाना, सुगिया (च) चितपूर्णी स्पंज कारखाना, 15 माईल, मांडू (छ) श्री राम पावर आयरन स्पंज कारखाना, कुजू नया मोड़ (ज) आई0पी0एल0 फैक्ट्री, गोला एवं (झ) बी0एम0एल0 फैक्ट्री कामता, गोला आदि कारखानों में मजदूरों से नियम विरूद्ध आठ घंटे की जगह बारह घंटे काम लिया जा रहा एवं उन्हें आठ घंटे की ही मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;	यद्यपि रामगढ़ जिला में अवस्थित (क) बिहार फॉउड्री कारखाना, रामगढ़ (ख) झारखण्ड इस्पात कारखाना, हेसला (ग) जय माँ छिन्नमस्तिका आयरण स्पंज कारखाना, हेहल (घ) दयाल इंडस्ट्री, कैथा (ड) आलोक स्टील एंड आयरन स्पंज कारखाना, सुगिया (च) चितपूर्णी स्पंज कारखाना, 15 माईल, मांडू (छ) श्री राम पावर आयरन स्पंज कारखाना, कुजू नया मोड़ (ज) आई0पी0एल0 फैक्ट्री, गोला एवं (झ) बी0एम0एल0 फैक्ट्री कामता, गोला नामक कारखानों में मजदूरों से बारह घंटे काम लिये जाने एवं उन्हें आठ घंटे की ही मजदूरी का भुगतान किये जाने संबंधी कोई भी शिकायत स्थानीय कारखाना निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं है। फिर भी उपरोक्त तथ्यों की जाँच एवं पृच्छा करने की कार्रवाई श्रम विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।
3	क्या यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ जिला में अवस्थित कारखानों में श्रम अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करवाने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	श्रम विभाग द्वारा राज्य में अवस्थित सभी कारखानों में श्रम अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम का अनुपालन कराने की कार्रवाई निरन्तर की जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–02/श्रमा0का0(वि0स0)–02/2020 श्र0नि0 384 राँची, दिनांक 11/03/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0/336, दिनांक– 24.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20

(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

262

श्री डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0-स-34 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र चालू नहीं किये जाने के कारण बच्चियों को प्रशिक्षण हेतु देवघर जाना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जामताड़ा जिलान्तर्गत **PReJHA** एसोसियेशन के तहत् PANIIT नर्सिंग कॉलेज द्वारा ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र अक्टूबर 2020 से वैध आरंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-10/क्यू0-01-01/2020 - 44(10) स्वा0/राँची/दिनांक:- 5/3/20

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 389/वि0स0 दिनांक 25.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के उप सचिव।

Nand Kumar/Health

263

श्री रामदास सोरेन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 57 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के गन्धनिया स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित है जहाँ इन दिनों चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों का कूल स्वीकृत पद की अपेक्षा कार्य बलों की संख्या काफी कम होने के साथ–साथ दवाओं का भी हमेशा आभाव रहती है ;	स्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र गन्धनिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काराडुबा स्थित है। अस्पताल में आवश्यकता के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति की जाती रही है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(01) में वर्णित अस्पताल में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियो तथा अधिकांश जीवन रक्षक दवाओं के कमी के कारण स्थानीय मरीजों का समुचित ईलाज नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग करते हुए स्थानीय आम जन को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। गंभी रूप से बीमार मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अनुमण्डल अस्पताल, घाटशीला रेफर किया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित अस्पताल में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के पदस्थापन के साथ–साथ सभी जीवन रक्षक दवाओं को उपलब्ध करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-25/2020 87(15) रॉंची, दिनांक– 11-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 736 दिनांक– 04-03-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

श्री उमा शंकर अकेला, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 23 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड जी0टी0 रोड के किनारे अवस्थित है, लेकिन आज तक वहाँ ट्रामा सेन्टर नहीं बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय सहित ईर्द–गिर्द स्थलों पर भी ट्रामा सेन्टर नहीं होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त लोगों का सही समय पर ईलाज नहीं होने से असमय ही उनलोगों की मृत्यु हो जाती है ;	अस्वीकारात्मक। चौपारण प्रखण्ड से लगभग 25 कि0मी0 की दूरी पर अनुमण्डलीय अस्पताल, बरही जो एन0एच0–2 पर अवस्थित है, में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय में एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 10/20– 218(6) स्वा0, राँची, दिनांक 11.3.2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 204/वि0स0, दिनांक– 23.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2020

अवर सचिव।

(265)

श्री चमरा लिंडा, माननीय स0वि0 स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–42 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिंडा, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या बात सही है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49(5) अंतर्गत केवल कायमी भूमि (OCCUPANCY RAIYAT) को वापस करने का समय–सीमा 12 वर्ष निर्धारित है।	स्वीकारात्मक।
2.	यदि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49(5) अंतर्गत भुईहरी जमीन को वापस करने का कोई कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है।	अस्वीकारात्मक। CNT Act की धारा–49(1) के तहत् उपायुक्त के अनुमति के पश्चात् हस्तांतरित भूमि के हस्तांतरण को निरस्त करने के संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम् की धारा–19 (5) में उल्लेख किया गया है जिसमें ऐसे किसी भूमि के हस्तांतरण को निरस्त करने की समय–सीमा 12(बाहर) वर्ष निर्धारित है।
3.	यदि उपर्युक्त खडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोरहाबादी, मौजा स्थित भुईहरी प्लॉट नं0–1137, 1138, 1139, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1601, 1602, एवं 1603 की जमीन को सरकार वापस कराने का विचार रखती है, हाँ तो	भुईहरी जमीन का हस्तांतरण के संबंध में CNT Act 1908 के Section-48 में उल्लेख है, जिसमें स्पष्ट है कि भुईहरी जमीन का हस्तांतरण Section-46 के तहत् किया जा सकता है, साथ ही Section-9 में उल्लेख है कि कुछ खास उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु उपायुक्त की लिखित अनुमति से ऐसी भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है। उक्त सभी प्लॉटों का हस्तांतरण उपायुक्त, राँची द्वारा सेक्शन–49 में दिये गये अनुमति के पश्चात् हुआ है।

क्र. सं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	खतियानी रकबा	CNT की धारा–49 के तहत् अनुमति बाद का विवरण		विक्रय पत्र सं0 / दिनांक	अभ्युक्ति (भूमि अंतरण का उद्देश्य)
				संख्या	रकबा		
1	160	1139	0.74 ए0	4R8(ii) 47-48	0.74 ए0	5528/16.09.47	–
2	160	1148	0.27ए0	33R8(ii) 61-62	–	–	–

कब तक, नहीं तो क्यों?	3	161	11381	145ए0	12R8(ii) 46-47	0.35	4480/ 06.07.72	—
					09R8(ii) 47-48	0.50	6454/ 18.11.47	Building एवं orchard हेतु।
					—	0.33	5528/ 16.09.47	—
	4	161	1153	0.35 ए0	—	—	—	—
	5	162	1137	1.05ए0	6R8(ii) 48-49	1.05	5528/ 16.09.47	—
	6	162	1151	0.26 ए0	—	—	—	—

प्रश्न में पूछे गये अन्य प्लॉट 1149, 1150, 1153, 1602 एवं 1603 भुईहरी खाते की भूमि है, जिसके हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज की जाँच की जा रही है, प्लॉट सं0–1601 रैयती खाते की भूमि है। सेक्शन–49 के तहत् उपायुक्त के अनुमति के पश्चात् हस्तांतरित भूमि के हस्तांतरण को निरस्त करने के संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49(5) में उल्लेख किया गया है, जिसमें ऐसे किसी भूमि के हस्तांतरण को निरस्त करने की समय–सीमा 12 (बारह) वर्ष निर्धारित है।

यदि कोई रैयत उपायुक्त के आदेश के विरूद्ध सी0एन0टी0 एक्ट की धारा–49 (5) के अन्तर्गत अपील दायर करना चाहते है तो वाद दायर करने के उपरांत उभय पक्षों को सुन कर उस पर विधिसम्मत् का निर्णय लिया जायगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6/वि0स0 (तारां0)–66/2020 962/रा0 राँची, दिनांक– 12-03-2020

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–441/वि0स0, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(266)

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-53 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि रिम्स अस्पताल में पूरे राज्य से विभिन्न बीमारियों से जुड़े अधिकांशतः गरीब मरीज आते है, जिसके रख-रखाव एवं प्रबन्धन पर सरकार अरबों रूपये प्रतिवर्ष खर्च करती है।	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है, कि खण्ड-01 मे वर्णित अस्पताल में विभिन्न पैथोलोजिकल जाँच हेतु सरकार मेडोल नामक कम्पनी के साथ MOU की है जो उक्त अस्पताल में भर्ती मरीजों का पैथोलोजिकल जाँच कम दर पर करती है।	स्वीकारात्मक (सरकार के द्वारा PPP Mode पर मेडाल लैब स्थापित किया गया है,जो मरीजों का पैथोलॉजिकल जाँच करती है।)
3. क्या यह बात सही है, कि खण्ड-02 में वर्णित कम्पनी द्वारा आये दिन उक्त अस्पताल के मेडिसिन एवं सर्जरी वार्ड के मरीजों का किये गये पैथोलोजिकल जाँच रिपोर्ट को उक्त अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा अनदेखी कर पुनः मरीजों को उक्त जाँच अन्यत्र से कराने का दबाव दिया जाता है, जिससे गरीब मरीजों को काफी कठिनाई होती है।	अस्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-03 में वर्णित मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब-तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार के समक्ष यदि ऐसा कोई विशिष्ट मामला प्रकाश मे आता है, तो वैसी परिस्थिति मे जाँचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स (वि0स0)-05-04/2020...102 (11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 11/03/2020

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 84/वि0स0 दिनांक-20.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव के उप सचिव।

माननीय श्री भानू प्रताप शाही, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला
<u>तारांकित प्रश्न सं0-स-21 का उत्तर प्रतिवेदन।</u>

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पहल पर 108 टोल फ्री नम्बर के माध्यम से निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि मेरे भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से उपस्वास्थ्य केन्द्र सुदूरवर्ती ईलाके में है, जहाँ मोबाईल नेटवर्क नही होने की वजह से एम्बुलेंस से सम्पर्क नही हो पाता है ;	अस्वीकारात्मक। इसे सेवा में तहत एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त करने हेतु लाभुक/मरीज को टोल फ्री नम्बर '108' पर फोन करना होता है जिसका केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर, डोरन्डा, राँची में अवस्थित है एवं यह 24x7 संचालित है। कॉल सेन्टर द्वारा संबंधित क्षेत्र के एम्बुलेंस को लाभुक/मरीज द्वारा बताये गये स्थान पर भेजा जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के उपस्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः हरिहरपुर, बिशुनपुरा, सगमा, टाटीदीरी सहित पुरे झारखण्ड में सुदूरवर्ती इलाकों के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	➢ नहीं। ➢ राज्य में संचालन हेतु कुल 339 एम्बुलेंस (Basic Life Support/BLS-289, Advance Life Support/ALS-39, National Highway Authority of India/NHAI ALS-10) Ziqitza Health care Ltd. को सरकारी निजी भागीदारी (PPP) को के तहत आवंटित किया गया है जिसमें 337 एम्बुलेंस (BLS-287, ALS-39, NHAI ALS-10) का संचालन किया जा रहा है तथा दो एम्बुलेंस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया है। ➢ वर्तमान में गढ़वा जिला क्षेत्र में संचालन हेतु कुल 14 एम्बुलेंस (BLS-12, ALS-02) निर्धारित है जिसमें से एक एम्बुलेंस भवनाथपुर स्वास्थ्य ब्लॉक क्षेत्र के लिए आवंटित है। भवनाथपुर स्वास्थ्य ब्लॉक क्षेत्र से उक्त एम्बुलेंस द्वारा अबतक कुल 1305 लाभुकों को रेफरल सेवा प्रदान किया गया है। ➢ राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा मार्गदर्शिका के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर एक BLS एम्बुलेंस एवं प्रति पाँच लाख जनसंख्या पर एक ALS एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य मद से 117 एम्बुलेंस (BLS-91, ALS-026) का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इन एम्बुलेंस के संचालन हेतु आवश्यक राशि का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (State PIP) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-21/वि0 स0-06-01/2020 -8(31) स्था0/राँची/दिनांक:- 5/3/20

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 218/वि0स0 दिनांक 23.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुज कुमार
02/03/2020

सरकार के अवर सचिव।

Nand Kumar/Health

(268)

श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० श्र०नि०–13 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्ता श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड में बनने वाले आई0टी0आई0 कॉलेज का काम अब तक अधूरा है,	अस्वीकारात्मक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोला (रामगढ़) का नवनिर्मित भवन को प्राचार्य, मिनी टूल रूम, टाटीसिल्वे, राँची को दिनांक–11.12.2017 को हस्तगत करा दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि इस आई0टी0आई0 कॉलेज को पी0पी0पी0 मोड में संचालित करने का प्रस्ताव है, जिसके कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को अत्यधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे उनके अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा;	अस्वीकारात्मक। आई0टी0आई0, गोला का संचालन उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ क्षेत्र के स्थानीय छात्र–छात्राओं के व्यापक हित में इस आई0टी0आई0 कॉलेज को पी0पी0पी0 मोड में संचालित न करवाकर अपने स्तर से चलाने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–17/2020श्र०नि०– 383 राँची दिनांक– 11/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–606, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sari\Rahul\Vidhan Sabha\03-17-2020.docx

(269)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं0–रा0–40 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अंचल के ग्राम–मउभण्डार के थाना सं0–86 के खाता नं0–23, 61, 70, 74, 76 एवं 86 के खतियानी रैयत श्री दामा मांझी, श्री आसाग मांझी, श्री छोटा रामदास, श्री सिरू मांझी, श्री रामदास मांझी एवं श्री श्याम हांसदा के नाम भूमि है,	स्वीकारात्मक। थाना सं0–86 के खाता नं0–23, 61, 70, 74, 76 एंव 86 के खतियानी रैयत श्री दामा मांझी, श्री आसाग मांझी, श्री छोटा रामदास, साबरे मांझियान, पति–रतन मांझी, श्री रामदास मांझी एवं श्री श्याम हाँसदा के नाम भूमि है।
2	क्या यह बात सही कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि का संबंधित रैयतों द्वारा वर्ष 2017–18 तक की मालगुजारी–कर का भुगतान की गई है,	खण्ड–01 में वर्णित भूमि का संबंधित रैयतों द्वारा वर्ष 2019–20 तक की मालगुजारी कर का भुगतान की गई है
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि को उक्त क्षेत्र में अवस्थित H.C.L., I.C.C. (भारत सरकार के उपक्रम) एवं पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा बिना अधिग्रहण किये पक्की सड़क का निर्माण कर दी गई जिसका सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा संबंधित रैयतों को अबतक नहीं दी गई है,	प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता न्यायालय घाटशिला में भूमि वापसी वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है। HCL/ICC के द्वारा 14 रैयतों को मुआवजा भुगतान एवं 3 रैयतों के आश्रितों को नियमित नौकरी प्रदान करने संबंधी सादे कागज पर एकारारनामा का दावा किया गया है। लगभग 50 वर्षों से यह पक्की सड़क के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सहायक महाप्रबंधक कॉपर लिमिटेड द्वारा मरम्मती एवं निर्माण कार्य के आवेदन पत्रांक HCL/ICC समप्र/2017, दिनांक–15.04.2017 के आलोक में इस पथ की मरम्मती की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित भूमि को नियमानुकूल अधिग्रहण कर संबंधित रैयतों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अन्तर्गत मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँतो कब तक, नहीं तो क्या?	विषयगत मामला भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, घाटशिला में रैयतों द्वारा भूमि वापसी हेतु वाद दायर किया गया है, वाद के निष्पादन होने के उपरांत नियमानुसार उचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 08बी / भू0अ0नि0वि0स0(तारां0)–42 / 2020 143 (6) रा. राँची, दिनांक– 12-03-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–731, वि0स0 दिनांक–04.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव

270

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0 –59 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन के लिए वर्तमान समय में एम0 सी0 आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के रेडियोलॉजी–विभाग से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड –1 के आलोक में राज्य के विभिन्न जिलों में बिना उचित प्रमाण पत्र के ही अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन वर्ष–2019 माह नवम्बर के बाद से किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य अंतर्गत किसी भी जिला द्वारा बिना उचित प्रमाण पत्र के अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है। हजारीबाग जिला के सिविल सर्जन से प्राप्त उत्तर एवं अनुलग्नक से पता चला कि बी0 एस0 एफ0 मेरू अवस्थित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में दो चिकित्सकों डॉ0 सुचन्द्रा डे एवं डॉ0 सिमांचल होता को 1 फरवरी 2020 में जिला सलाहकार समिति की बैठक में कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की गई, जो शैक्षणिक योग्यता की आहर्ता पूरा नहीं कर रहे है। संज्ञान में आने के उपरांत तत्काल पत्रांक– 330 (MD) दिनांक– 12.03.2002 के माध्यम से उपायुक्त –सह –जिला समुचित पदाधिकारी, PCPNDT, हजारीबाग को तथा सिविल सर्जन हजारीबाग को पत्र भेजा गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में वर्ष–2019 नवम्बर माह के बाद से अवैध तरीके से संचालित अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन को शक्ति से लागु कराने पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	राज्य द्वारा PCPNDT का अनुपालन किया जा रहा है समय समय पर राष्ट्रीय, राज्य एवं निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जाँच की जाती है एवं अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर सम्यक कार्रवाई भी की जाती है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–26/2020 91(15) राँची/दिनांक– 12-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 862 दिनांक– 07.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 12.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

271

श्री नारायण दास, मा० स० वि० स० द्वारा विधान सभा दिनांक 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०– स–56 की उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल तथा देवघर, मोहनपुर एवं देवीपुर में प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की कमी है।	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. सदर अस्पताल, देवघर में चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद 21 के विरूद्ध 14 पदस्थापित है। 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसीडीह में चिकित्सा पदाधिकारी के 07 पद स्वीकृत है तथा 02 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। 3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर में चिकित्सा पदाधिकारी के 07 पद स्वीकृत है तथा 02 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। 4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवीपुर में चिकित्सा पदाधिकारी के 07 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध एक भी चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि सदर अस्पताल में महिलाओं के समुचित ईलाज हेतु परिचारिका यूनिट के अनुसार नही है, जिससे आए दिन प्रसव के समय महिलाओं को कठिनाईयाँ हो रही है। :	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, देवघर में परिचारिका श्रेणी 'ए' की सृजित पद 24 के विरूद्ध 07 परिचारिका श्रेणी 'ए' पदस्थापित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर जिला मुख्यालय सहित चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–13/2020 104(3) राँची, दिनांक: 11/3/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–735/वि0स0 दिनांक 04.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2020
(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

(272)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–20 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य का एकमात्र जिला साहेबगंज गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष गंगा नदी में बाढ़ के कारण लोक भूमि में परिवर्तन होता रहता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र में राज्य गठन पश्चात् आदिनांक दियारा, चौर एवं गंग बरार की लोक भूमि की स्थायी बंदोबस्ती नहीं की जाती है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गंगा तट एवं मध्य दियारा क्षेत्र में बाढ़ के कारण परिवर्तित ऐसी लोक भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा गैर–कानूनी रूप से कब्जा करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि नदियों से निकली चौर, दियारा तथा गंग बरार की लोक भूमि का सरकार सार्वजनिक प्रयोजन, जिसमें वानिकी एवं बागवानी में उपयोग में लाने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाये रखने तथा पर्यटन को बढ़ावा दिलाना चाहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित गंगा के तट व मध्य दियारा क्षेत्र में चौर, दियारा तथा गंग बरार की लोक भूमि की स्थायी बन्दोबस्ती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ राजस्व विभागीय पत्र संख्या–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा नियमानुसार भूमि की बंदोबस्ती की जायेगी। सुयोग्य श्रेणी के अतिरिक्त अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अतिक्रमण वाद चलाते हुए अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स.भू. विधानसभा (तारां.)–19/2020-969 (5)/रा., राँची, दिनांक-12-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–331/वि.स., दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prasnuttar 2020.docx

273

श्री राजेश कच्छप, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–33 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला में निर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना के फेज 4 तीन (3) बार सड़क का एलिजमेंट बदला जा रहा है जबकि पूर्व में पहली एवं दूसरी बार एलिजमेंट हेतु अधिगृहित भूमि के रैयतों के बीच मुआवजा भुगतान कर दिया गया है, परंतु रैयत मुआवजा लौटा कर अपनी अधिगृहित भूमि वापस करने का अनुरोध सरकार से कह रही है ;		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। ग्राम–तुरूप के ग्राम सभा प्रधान एवं रैयतों द्वारा अधिग्रहित जमीन को वापस करने एवं भुगतान की गई मुआवजा राशि को माफ करने के संबंध में आवेदन समर्पित किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भुगतान की गई मुआवजा को वापस लेकर भू–स्वामियों को उनकी अधिगृहित भूमि वापस लौटाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?		मौजा–तुरूप के ग्रामीणों द्वारा राँची रिंग रोड परियोजना हेतु पूर्व में अर्जित की गई भूमि के विरूद्ध अधिकांश रैयतों द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है। आंशिक भुगतान लंबित है। ग्रामीणों द्वारा अर्जित भूमि जिसपर निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उसे वापस करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। विषयाधीन मामले पर विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी / भू.अ.नि.वि.स.–राँची (तारां.)–34 / 2020 139 (8) रा., राँची, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–500 / वि.स., दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अवर सचिव

vidhan sabha-2020

(274)

श्री निरल पुरती, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–39 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड परिसर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का कार्य विगत वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण चिकित्सा से संबंधित मशीन यथा एक्स–रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसी0जी0 एवं तकनीशियन इत्यादि की व्यवस्था नहीं है एवं स्वीकृत बल के अनुरूप चिकित्सक भी नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को ईलाज हेतु अन्यत्र जमशेदपुर, चाईबासा एवं उड़ीसा ले जाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तांतनगर का नया भवन अर्द्ध–निर्मित रहने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन से ही स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकतानुसार मरीजों को एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं ई0सी0जी0 की सुविधा सदर अस्पताल, चाईबासा से उपलब्ध कराई जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सभी मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था करते हुए अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–85 / जि0परि0 दिनांक 18.02.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तांतनगर के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन जिला परिषद् चाईबासा के पत्रांक–3055 दिनांक 17.11.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची, झारखण्ड को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया था जो अभी तक उनको अप्राप्त है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उनके द्वारा प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया जाएगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0)– 16 / 20–214(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 11.3.2020
प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 462 / वि0स0, दिनांक– 28.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2020
अवर सचिव।

(275)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–14 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि शनिचरवा उराँव, पिता–स्व० चूमना उराँव, जिला–राँची अंचल–नामकुम जिसका खाता संख्या–97, प्लॉट नं0–694, 714, 716, 701, 771 कुल रकबा–3.53 एकड़ थाना नं0–295, मौजा–टोनको है, जो CNT अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसे अवैध तरीके से गैर आदिवासी को हस्तान्तरित कर दी गई है ;	अस्वीकारात्मक। राँची जिलान्तर्गत नामकुम अंचल के मौजा टोनको, थाना संख्या–295, खाता–97 खतियान में बकास्त लगान पाने वाले राम प्रताप नायक वगै० दर्ज है। खाता–97, खेसरा संख्या–714, रकबा–11 डि0, खेसरा संख्या–716, रकबा–1.21 एकड़, खेसरा संख्या–701, रकबा–90 डि0, खेसरा संख्या–771, रकबा–80 डि0 खेसरा संख्या–714, 716, 701 एवं 771 खतियान के कैफियत कॉलम में मीनजानीब जरपेसगीदार के राहीन शनीचरवा उर्फ भनु उरांव अधबटाइ में जोत करता दर्ज है। मूल पंजी–II में किसी रैयत के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। शनीचरवा उराँव, पिता–स्व0 चूमना उराँव के नाम से ना खतियान में और ना ही पंजी–II में जमाबंदी कायम है। पंजी–II के भाग–1, पृष्ठ संख्या–61 में राम प्रताप नायक, गोवीद राम नायक, खाता नं0–97, खेसरा–694, रकबा–49 डि0, खेसरा–687, रकबा–02 डि0 कुल रकबा–51 डि0 की जमाबंदी ऑनलाईन कायम है। मूल पंजी–II को ही सही माना गया है। प्रश्नगत भूमि CNT Act, 1908 आदिवासी खाता से बाहर है। ऑनलाईन पंजी–II में विसंगतियाँ है। उक्त विसंगति को एक माह के अन्दर में सुधार कर लिया जाएगा।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक रैयतों का जमीन वापस करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0(तारां0)–47/2020...965.../रा0, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–229 वि0स0, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\win 8\Desktop\Bidhansabha ques. answ. 2020.docx (Hema)

276

श्री ढुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछे जाने वाले विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या श्र०नि०–10 हेतु उत्तर सामग्री

क्र० सं०	प्रश्नकर्ता श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में चल रहे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अधिकांश औद्योगिक इकाईयों में सिर्फ इंटक या इससे संबद्ध ट्रेड युनियन को ही मान्यता है;	सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में ट्रेड यूनियन की मान्यता संबंधित औद्योगिक इकाई के प्रबंधन द्वारा दी जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि अधिक सदस्यता होने के बाद भी ऐसी औद्योगिक ईकाईयों में अन्य ट्रेड युनियनों को मान्यता नहीं दी जाती है और मजदूरों के समस्या का सही ढंग से निदान नहीं हो पाता है;	उपरोक्त कंडिका–1 में सन्निहित उत्तर से स्पष्ट है कि औद्योगिक इकाइयों में ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रबंधन द्वारा ही दी जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि रेलवे, कोल इंडिया जैसी इकाईयों में युनियनों का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से किया जाता है जिससे प्रबंधन एवं मजदूर के संबंध में पारदर्शिता रहती है;	ट्रेड यूनियन का चुनाव श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत संबंधित ट्रेड यूनियन के संविधान में प्रावधानित व्यवस्था के तहत कराया जाना है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के सभी सार्वजनिक एवं निजी औद्योगिक ईकाईयों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराकर ट्रेड युनियनों को मान्यता दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं के उत्तर से स्पष्ट है कि सार्वजनिक एवं निजी औद्योगिक इकाइयों में क्रियाशील ट्रेड यूनियन का चुनाव संबंधित ट्रेड यूनियन के संविधान के तहत कराया जाना है एवं ट्रेड यूनियन की मान्यता संबंधित औद्योगिक इकाई के प्रबंधन द्वारा दी जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490856 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक– 02/श्रमा०का०(वि०स०) 03/2020 388 राँची, दिनांक– 11/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र० – 507 वि०स०, दिनांक–29.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(277)

श्री भूषण बाड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-स-51 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अस्पतालों में संविदा के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ANM) 10 वर्षों से कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक। (राज्य अन्तर्गत एन0एच0एम0 के अधीन संविदा पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) कार्यरत है।
2. क्या यह बात सही है कि संविदा के आधार पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (ANM) की सेवा अब तक नियमित नहीं की गई है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या-29(10) दिनांक-30.01.2014 के द्वारा गठित नियमावली के तहत स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अन्तर्गत गैर योजना मद में स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर सेवारत एवं अर्हता प्राप्त 922 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (ANM) की नियमित नियुक्ति की गयी है।
3. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा खण्ड (1) वर्णित (ANM) की सेवा नियमित किये बगैर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पत्रांक स्वा0नि0/26/ (स्वा0)-511/ 2019-173 (10) दिनांक 23.07.2019 के माध्यम से (ANM) की रिक्तियों के विरुद्ध (ANM) के चयन हेतु झारखण्ड (ANM) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। यह बात सत्य है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 173(10) दिनांक-23.07.2019 द्वारा ए0एन0एम0 के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजा गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-46 (21) दिनांक-18.12.2018 के द्वारा गठित स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मी (यथा-परि0श्रेणी0 'ए' ए0एन0एम0, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला-प्राविधिक, एक्स-रे-तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली-2018 के कंडिका (3) में प्रावधान है कि- "तत्समय प्रवृत किन्ही अन्य नियमों या आदेशों में

Nand Kumar/Health

45(10)
11/03/2020

	अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह नियम सामान्य अभ्यर्थियों एवं विभाग में संविदा पर नियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए' ए0एन0एम0, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्स-रे-तकनीशियन) के लिए लागू होंगे। इस नियम के अधीन नियुक्त वया स्थिति उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध की जाएगी'' साथ ही उक्त नियमावली के कण्डिका (4) एवं (5) के आलोक में संविदा पर नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें संविदा पर कार्यरत पारा चिकित्सा कर्मियों (ए0एन0एम0 सहित) को प्रत्येक वर्ष कार्य के विरूद्ध अधिभार में प्रत्येक वर्ष 05 अंक, अधिकतम 50 अंक एवं अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (3) में वर्णित (ANM) चयन प्रतियोगिता को रद्द करते हुए खण्ड (1) में वर्णित 10 वर्षों से कार्यरत (ANM) की सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब-तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-10/क्यू0-01-02/2020-45(10) स्वा0/राँची/दिनांकः- 11/03/2020

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 604/वि0स0 दिनांक 01.03.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2020
सरकार के उप सचिव।

Nand Kumar/Health

278

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– सा0–25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला के जिला मुख्यालय अस्पताल, अनुमण्डल मुख्यालय अस्पताल तथा क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मी के अभाव के कारण तथा साहेबगंज सदर प्रखण्ड के गोपालपुर दियारा, किशन प्रसाद, राजमहल प्रखण्ड के मंगलहाट एवं उधवा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत उत्तरी सरफराजगंज में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित नहीं रहने के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?	➢ अस्वीकारात्मक। ➢ सदर अस्पताल साहेबगंज में कार्यरत वर्त्तमान में उपलब्ध मानव संसाधन (चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मी) के द्वारा आम जनता को यथा संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ➢ अनुमण्डलीय अस्पताल राजमहल में भी (चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मी) के द्वारा आम जनता को यथासंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ➢ सदर प्रखण्ड के गोपालपुर दियारा क्षेत्र के आम जनता को स्वा0 उपकेन्द्र सकरीगली एवं स्वा0 उपकेन्द्र सकरीगली प0क0 में पदस्थापित सामु0स्वा0 पदाधिकारी एवं दो ए0एन0एम0 द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ➢ स्वा0 उपकेन्द्र किशनप्रसाद में पदस्थापित, दो ए0एन0एम0 द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ➢ राजमहल प्रखण्ड के मंगलहाट स्वा0 उपकेन्द्र में पदस्थापित, ए0एन0एम0 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ➢ उधवा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत उत्तरी सरफराजगंज के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुदकीपुर में कार्यरत है इस केन्द्र में पदस्थापित श्रीमती शिखा रानी घोष द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–(1) में वर्णित सभी अस्पतालों में पारिचारिका श्रेणी–1 की महिला चिकित्सकों के अभाव में महिलाओं को	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल साहेबगंज एवं अनुमण्डलीय अस्पताल राजमहल में परिचारिका श्रेणी ए एवं महिला

11.3.2020.

	स्वास्थ्य लाभ होने, विशेषकर प्रसव के दौरान कठिनाईयाँ हो रही है;	चिकित्सक पदस्थापित है स्वा० उपकेन्द्रो में परिचारिका श्रेणी A एवं महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होता है। सदर अस्पताल साहेबगंज, अनु०अस्पताल राजमहल में पूरी दक्षता के साथ महिलाओं को प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जाती है एवं स्वा० उपकेन्द्र स्तर पर Skill Birth Attendent trained ANM के द्वारा L1 के रूप में चिन्हित स्वा० उपकेन्द्रों में प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सभी प्रखण्डों में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी तथा वर्णित स्थानों पर स्वास्थ्य उप–केन्द्र निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07–13/2020....88(15) रॉंची/दिनांक– 11.03.2020

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 202 दिनांक– 23.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

279

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० श्र०नि०–16 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक प्रखण्ड के ग्राम बोंगा में राजकीय I.T.I महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य विगत 03 वर्षों से पूर्ण हो चुका है और इस संस्थान में अबतक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त संस्थान का संचालन नहीं होने से निर्मित भवन दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त I.T.I महाविद्यालय में पठन–पाठन कार्य शुरू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS) द्वारा Empanelled Training Service Provider (TSP) Vinayaka Fundamental Research and Education Society, Pahari Mandir, Ranchi, Jharkhand से नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ईचाक (हजारीबाग) का संचालन करने हेतु दिनांक–05.09.2019 को एकरारनामा किया गया है। पठन–पाठन का कार्य उनके द्वारा छः माह में प्रारम्भ किया जायेगा।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1 / श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–20 / 2020 श्र०नि०– 386 राँची दिनांक– 11/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–609, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sael\Rahul\Vidhan Sabha\03-20-2020.docx

(280)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 28 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि सरायकेला–खरसावां जिले के कोलाबिरा स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर अवस्था में है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि भवन के जर्जर अवस्था में होने से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में कठिनाई होती है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कोलाबिरा स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में पदस्थापित ए0एन0एम0 श्रीमती पुष्पलता कुमारी, नीलम कुमारी एवं प्रतिनियुक्त ए0एन0एम0 सुनीता कुमारी के द्वारा स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोलाबिरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए नये भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		विभागीय पत्रांक–286(6)ब दिनांक 26.03.2018 द्वारा प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 04/20–216(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 11.3.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 282/वि0स0, दिनांक– 24.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2020

अवर सचिव।

281

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–36 का प्रश्नोत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार किसी प्रकार औद्योगिक प्रतिष्ठान हेतु भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में संबंधित भू–स्वामी/आश्रितों को समुचित मुआवजा एवं नौकरी देने का प्रावधान है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के Schedule-I और Schedule-II के तहत् हितबद्ध व्यक्तियों को भू–मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तहत् सुविधा प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा 1600 एम0डब्लू0यू0 विद्युत परियोजना के लिए 45 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
गोड्डा जिला अंतर्गत अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु निम्न परियोजनावार भूमि अधिग्रहण की गयी है :–
<table>
<tr><td colspan="3">अदानी 2X800 MW ताप विद्युत संयंत्र की निर्माण</td></tr>
<tr><td>अंचल का नाम</td><td>मौजा का नाम</td><td>अर्जित रकबा (एकड़ में)</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>मोठिया</td><td>174.84</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>पटवा</td><td>4.31</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>गंगटा</td><td>171.48</td></tr>
<tr><td>पोड़ैयाहाट</td><td>माली</td><td>166.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>517.03</td></tr>
<tr><td colspan="3">अदानी बुस्टर पम्पींग स्टेशन निर्माण</td></tr>
<tr><td>अंचल का नाम</td><td>मौजा का नाम</td><td>अर्जित रकबा (एकड़ में)</td></tr>
<tr><td>ठाकुरगंगटी</td><td>भगवानपुर</td><td>2.250</td></tr>
<tr><td>ठाकुरगंगटी</td><td>बहादुरचक</td><td>30.211</td></tr>
<tr><td>ठाकुरगंगटी</td><td>नियामतचक</td><td>8.810</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>41.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">अदानी रेलवे साईडिंग निर्माण</td></tr>
<tr><td>अंचल का नाम</td><td>मौजा का नाम</td><td>अर्जित रकबा (एकड़ में)</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>कारीकादो</td><td>9.181</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>नयावाद</td><td>5.352</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>कौड़ीबहियारमाल छिंट</td><td>10.304</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>कौड़ीबहियारमाल</td><td>20.153</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>कौड़ीबहियारमाल</td><td>19.002</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>गौढ़ीघाट</td><td>3.889</td></tr>
<tr><td>गोड्डा</td><td>कानाडीह</td><td>1.371</td></tr>
<tr><td>पोड़ैयाहाट</td><td>गुम्मा</td><td>22.678</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>91.93</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3.	क्या यह बात सही है कि गरीब किसान के जमीन अधिग्रहण के बाद अडानी पावर लिमिटेड द्वारा आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है तथा भूमि देने वाले किसी भी किसान/आश्रितों को रोजगार न दिया गया है ;	अदानी पावर प्लान्ट के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के अंदर सड़क पर आवागमन प्रतिबंधित करने एवं ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा की दृष्टिकोण से पावर प्लान्ट के चाहरदिवारी से सटे पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा अधियाची विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। परियोजनावार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तहत् मिलने वाली सुविधाओं में अदानी पावर प्लान्ट हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को RFCTLARR Act, 2013 के Schedule-II के कंडिका–04 एवं 10 के तहत् कुल पाँच लाख पचास हजार रूपये या नियोजन का प्रावधान है। तदनुरूप स्वीकृत एवार्ड के अनुरूप भुगतान की गयी है। अदानी बुस्टर पम्पींग निर्माण एवं रेलवे साईडिंग निर्माण परियोजना में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तहत् हितबद्ध व्यक्तियों को एक बारगी पुनर्वास भत्ता पचास हजार भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रास्ता अवरूद्ध करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में किसानों/आश्रितों को नौकरी दिलाने तथा अवरूद्ध मार्ग को खोलवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के Schedule-I और Schedule-II के तहत् हितबद्ध व्यक्तियों को भू–मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तहत् मिलने वाली सुविधाओं का अनुपालन किया जा रहा है। रास्ता अवरूद्ध करने संबंधी कोई मामला वर्तमान में संज्ञान में नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8ए0/भू0अ0नि0 वि0स0 (तारांकित)–35/2020 142 (8) रा0 राँची, दिनांक 12-3-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–599/वि0स0, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अवर सचिव

282

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत S.A.I.L के अधीन बोकारो स्टील प्लांट द्वारा झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण हेतु जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। महाप्रबंधक, S.A.I.L बोकारो स्टील सिटी, बोकारो के पत्रांक–4785 दिनांक–20.08.16 द्वारा मेडिकल कॉलेज हेतु बोकारो स्टील सिटी के जनवृत 12 क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि का ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार से सहमति मांगा गया था, जिस पर राज्य सरकार के पत्रांक–1084 दिनांक–04.11.16 द्वारा उक्त भूमि पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु सहमति प्रदान की गयी है। परन्तु S.A.I.L द्वारा उक्त भूमि का NOC निर्गत करते हुए राज्य सरकार को अबतक भूमि हस्तांतरण नहीं किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि बोकारो स्टील सिटी में मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल नहीं होने के कारण यहां के हजारों रोगियों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, बोकारो में प्रतिमाह लगभग 300 प्रसव एवं 100 सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। सदर अस्पताल के ओ0पी0डी0 में प्रति दिन लगभग 300–400 रोगियों का ईलाज किया जाता है। पी0पी0पी0 मोड पर सदर अस्पताल, बोकारो में अल्ट्रासाउण्ड, डायलिसिस एवं लैबोरेट्री संचालित है। गरीजों का नियमित रूप से Catract ऑपरेशन किया जाता है। एक्स–रे मशीन एवं दन्त चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। नवजातों के लिए एस0एन0सी0यू0 में 12 बेड उपलब्ध है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो स्टील सिटी में मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नही तो क्यों ?	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जिला रेफरल अस्पतालों से संबद्ध कर नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की योजना के तहत कोडरमा, बोकारो एवं चाईबासा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। परन्तु केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ब्लॉक 1 के अन्तर्गत कोडरमा (करमा) एवं ब्लॉक–2 के तहत प0 सिंहभूम के चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गयी है। बोकारो जिला की योजना को शामिल नहीं किया गया है। बोकारो में मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित भूमि का राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में लंबित है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-02/2020–75(9) राँची, दिनांक– 05/03/2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 219 दिनांक– 23-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(283)

श्री अमित कुमार यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–48 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरकट्ठा का भवन निर्माण कार्य वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण आमजन को चिकित्सा कराने में घोर असुविधा हो रही है ;		अस्वीकारात्मक। नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पुराने भवन में ही आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त भवन का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		भवन का संरचना कार्य पूर्ण है फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। आगामी 2–3 माह में योजना पूर्ण कर हस्तगत करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 17/20– 200(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 601/वि0स0, दिनांक– 01.03.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
अवर सचिव।

(284)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर :–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलांतर्गत बाघमारा प्रखण्ड अंतर्गत बड़कीबोआ ग्राम में डी–नोबली स्कूल का निर्माण किया गया है;		स्वीकारात्मक। बाघमारा अंचल अंतर्गत बौआकला में डी–नोबली स्कूल निर्मित है।
2.	क्या यह बात सही है कि डी–नोबली स्कूल द्वारा निर्माण के क्रम में 5 एकड़ सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है;		स्वीकारात्मक। मौजा–बौआकला, थाना सं0–228, खाता सं0–118, प्लॉट सं0–1756 एवं 1758, रकबा–3.07 एकड़ गैर आबाद भूमि को डी–नोबली स्कूल प्रबंधन द्वारा बाउंड्रीवाल कर अतिक्रमित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		स्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि के लिए अंचल कार्यालय, बाघमारा के द्वारा अतिक्रमण वाद सं0–01/2019–20 संधारित करते हुए अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही हैं इस संदर्भ में बिहार/झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत् अतिक्रमण हटाने हेतु द्वितीय नोटिस निर्गत कर दिनांक–05.03.2020 तक अतिक्रमणकारी को अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिया गया था। इस नोटिस के आलोक में डिनोवली स्कूल प्रबंधन द्वारा अपने लिखित जवाब में उक्त भूमि को निर्बंधित केवाला से खरीद किये जाने का उल्लेख किया गया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच करते हुए एक महीने के अंदर अतिक्रमण वाद संख्या–01/2019–20 का निपटारा करते हुए तदनुसार कार्रवाई की जायेगी

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–5/स0भू0 धनबाद (वि0स0तारां0)–17/2020–968–5)/रा0 राँची, दिनांक–12-3-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–227/वि0स0, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अपर सचिव

E:\bidhan sabha\Prasnuttar 2020.docx

(285)

श्री सोनाराम सिंकु, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 14 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर प्रखण्ड के ग्राम छोटानागरा का उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन अधूरा पड़ा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प0 सिंहभूम जिला के मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत छोटानागरा स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण योजना की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है, जो वर्तमान में अधूरा है।
2. क्या यह बात सही है, कि उपस्वास्थ्य केन्द्र के अधूरा रहने से क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य का सुविधा नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटानागरा का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं रहने के कारण यहाँ के लोगों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि छोटानागरा के उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन विगत 15 वर्ष पूर्व से निर्माण हो रहा था ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छोटानागरा में बन रहे उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में 12 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटानागरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संपरिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई है। उक्त योजना उपायुक्त, प0 सिंहभूम द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थी। योजना को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन के साथ ही योजना को लंबित रखने के दोषी अभियंताओं के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र "क") गठित करते हुए उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, प0 सिंहभूम से अनुरोध किया गया है, जो अब तक अप्राप्त है। उक्त योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होते ही योजना को पूर्ण करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 06/20– 217(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 11.3.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 206/वि0स0, दिनांक– 23.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2020
अवर सचिव।

(286)

श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–09 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र के लोगों को सुगमता पूर्वक नियोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में नियोजन की स्थापना की गई थी;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि नियोजनालय का कार्य शिथिल है और नियोजन हेतु निबंधन के दर में भी भारी कमी आई है;	अस्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि नियोजनालय के पुनर्गठन कर प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में इसकी शाखा खोलने एवं निबंधन की अनिवार्यता से स्थानीय लोग को नियोजन में सुगमता होगी;	अस्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड स्तर पर नियोजन कार्यालय खोलने एवं निबंधन को अनिवार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्यान्तर्गत सभी जिलों में नियोजन कार्यालय कार्यरत हैं, साथ ही राज्य के प्रखण्ड मुख्यालयों में भी निबंधन शिविरों का आयोजन कर स्थानीय युवक/युवतियों के निबंधन की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य के युवाओं को नियोजनालय में निबंधन हेतु ऑनलाईन वेबपोर्टल www.jharkhandrojgar.nic.in उपलब्ध है, जिसपर आवेदक कभी भी कहीं से अपना निबंधन स्वयं भी कर सकते हैं।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–14/2020श्र0नि0– 362 राँची दिनांक–06.03.20

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–466, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sari\Rahul\Vidhan Sabha\03-14-2020.docx

(287)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–22 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हरिहरगंज एवं पिपरा अंचल के खतियान को ऑन लाईन किया गया है ;	स्वीकारात्मक। हाल सर्वे के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित अंचलों के खतियान को ऑनलाईन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन खतियान में भारी गड़बड़ी होने के कारण जहाँ म्यूटेशन में समस्या होरहा है वहीं स्थानीय लोगों में भूमि विवाद गहराता जा रहा है जिसके कारण किसी भी समय कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनी हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंतिम प्रकाशन के पश्चात् ऑनलाईन किये गये खतियान में त्रुटियों के निराकरण हेतु रैयतों से सी.एन.टी. एक्ट की धारा–87 के अंतर्गत हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद, हरिहरगंज तथा पीपरा अंचल में कुल 17705 वाद प्राप्त हुए है, जिसकी सुनवाई की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि सुधारात्मक सर्विस सेटलमेन्ट (धारा–87) के तहत् हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हरिहरगंज एवं पिपरा अंचल के लगभग 11000 भू–स्वामी आपत्ति दर्ज कराये थे, परन्तु इनकी आपत्ति पर बिना विचार किये सर्वे का कार्य सम्पन्न कर दिया गया;	अस्वीकारात्मक। कंडिका –2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हरिहरगंज एवं पिपरा अंचल का पुनः सर्वे कराकर खतियान ऑन लाईन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अंतिम रूप से प्रकाशित एवं ऑनलाईन किये गये खतियान में त्रुटियों के निराकरण हेतु रैयतों द्वारा सी.एन.टी. एक्ट की धारा–87 के तहत् दायर वादों में पारित आदेश के अनुसार ऑनलाईन खतियान में सुधार कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01/(निदे०अभि०) वि०स०(तारां)–08/2020 - 97/वि०, राँची, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–334, दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2020

सरकार के अवर सचिव।

(288)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–38 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि CNT एक्ट में जातिगत आधार पर सामान्य जाति के लोगों के भूमि का खरीद–बिक्री आपस में किये जाने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि SPT एक्ट में किसी जाति समुदाय में किसी स्थिति परिस्थिति में जमीन के खरीद–बिक्री का प्रावधान नही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक–14.09.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में संथाल परगना प्रमंडलान्तर्गत मात्र ऐसी रैयती भूमि ही हस्तांतरणीय है जो कि सर्वे अभिलेख में बसौढ़ी के रूप में दर्ज है। विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड से प्राप्त विधिक परामर्शानुसार– "भूतपूर्व मध्यवर्त्ती जमींदार जो कामत भूमि पर दखलकार हैं, वे संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 के तहत् रैयत नहीं है और उन पर उक्त धारा में विहित निषेध लागू नहीं होता है। वैसी कामत या बकास्त भूमि जो मध्यवर्त्ती मालिक/जमींदार द्वारा जमींदारी/रिटर्न के वक्त उनके पास रहा, वैसी भूमि (बकास्त/कामत) हस्तांतरणीय है।"
3	क्या यह बात सही है कि CNT एक्ट के क्षेत्रों में SPT एक्ट के क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा आर्थिक विकास हुआ है, इसका कारण है कि CNT एक्ट में जातिगत आधार पर जमीन खरीद–बिक्री है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार SPT एक्ट को CNT एक्ट के समतुल्य बनाने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	इस तरह का प्रस्ताव वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0(तारां0)–63 / 2020 966 / रा0, दिनांक– 12-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–653 वि0स0, दिनांक–02.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

289

श्री विनोद कुमार सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –09 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औंरा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्भरा बनपुरा की नवनिर्मित भवन चिकित्सक के अभाव में बंद पड़ा हुआ है :	स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औंरा के लिए नये भवन का निर्माण किया गया है, किन्तु चिकित्सक एवं पाराकर्मी का पद स्वीकृत नहीं है। चिकित्सक एवं पारा कर्मी के अभाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औंरा संचालित नही है। बगोदर प्रखण्ड के खम्भरा बनपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए नये भवन का निर्माण कराया गया है। जिसके लिए विभागीय संकल्प संख्या– 162(3) दिनांक 15.02.2019 के द्वारा दो चिकित्सक का पद स्वीकृत किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खम्भरा बनपुरा के लिए पारा कर्मियों का पद स्वीकृत नही है। चिकित्सक एवं पाराकर्मी के आभाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खम्भरा, बनपुरा संचालित नही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चिकित्सक नियुक्त कर दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, को प्रारम्भ करने की विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–08/2020 103(3) राँची, दिनांक: 11/3/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–215/वि0स0 दिनांक 23.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

270

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –32 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद में चिकित्सक के 18 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 04 चिकित्सक पदस्थापित है :	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सक के घोर अभाव के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुसैनाबाद अनुमंडल के लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है :	अस्वीकारात्मक। हुसैनाबाद अनुमण्डल में पदस्थापित चिकित्सकों से लोगो को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों की कमी के कारण चार चिकित्सकों से 24×7 चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद के भवन तैयार होने के बावजूद अस्पताल का संचालन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनाबाद के भवन में ही किया जा रहा है :	अस्वीकारात्मक। अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद का भवन निर्माणाधीन है। नवनिर्मित भवन को हस्तगत कराये जाने के पश्चात् कार्य नये भवन से प्रारंभ किया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में चिकित्सा पदाधिकारी के सभी स्वीकृत पदों पर पदस्थापन कर अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के नए भवन में समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद के नये भवन को हस्तगत कराये जाने के पश्चात् कार्य नये भवन से प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–06/2020 95 (3) राँची, दिनांक: 03/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–386/वि0स0 दिनांक 25.02.2020 के क्रम में में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2020
(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

292

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–09 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि असमु उराँव जिला–राँची प्रखण्ड–ओरमांझी SAR कोर्ट से वाद संख्या–145R15/2002-03/23R15/2003-04 दिनांक–02.11.2005 को दखल–दिहानी का आदेश पारित हुआ जिसका खाता नं0–44, प्लॉट नं0–536 एवं 564 कुल रकबा–96 डीसमील मौजा–हेसातु है।	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक रैयतों का जमीन वापस करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	स्वीकारात्मक राँची SAR कोर्ट से वाद संख्या–145R15/2002-03/23R15/2003-04 में दिनांक–02.11.2005 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री असमु उराँव को एक माह के अन्दर प्रश्नगत भूमि पर अंचलाधिकारी द्वारा दखल–दिहानी दिला दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0(तारां0)–48/2020 963 /रा0, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–89 वि0स0, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\win 8\Desktop\Bidhansabha ques. answ. 2020.docx (Hema)

(293)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० श्र०नि०–12 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत इटखोरी एवं सिमरिया प्रखण्ड में 2015 से आई०टी०आई० कॉलेज बन कर तैयार है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि 5 वर्ष बितने के बाद भी अभी तक पठन पाठन का कार्य नही कराया जा रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। चतरा जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरिया विगत शैक्षणिक सत्र–2016 से कार्यरत है।
3	क्या यह बात सही है कि विद्यार्थियों के प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में अविलम्ब पठन–पाठन चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरिया में शैक्षणिक सत्र–2016 से पठन–पाठन आरंभ है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इटखोरी (चतरा) का संचालन Micro Small and Medium Enterprises (MSME) Tool Room द्वारा किया जायेगा।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–16 / 2020श्र0नि0– 381 रॉची दिनांक–11/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉची को उनके ज्ञाप सं०–506, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sam\Rahul\Vidhan Sabha\03-16-2020.docx

(274)

श्री मथुरा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–11

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला अंतर्गत बाघमारा प्रखण्ड के रंगुनी पंचायत में रंगुनी ग्राम में असफी अस्पताल द्वारा कैन्सर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रंगुनी मौजा अंतर्गत खाता संख्या–209, प्लॉट संख्या–570, 568 एवं 620 कुल रकवा–11.92 ए० गैर आबाद खाते की सरकारी भूमि, जो झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (JIADA) को हस्तांतरित है। प्रश्नगत भूमि असफी हॉस्पीटल द्वारा लीज पर प्राप्त कर चाहरदिवारी एवं शेड का निर्माण किया गया है, वर्तमान में कार्य बंद है।
2.	क्या यह बात सही है, कि पूर्व की सरकार द्वारा असफी अस्पताल को 7 एकड़ जमीन लीज पर दी गयी है, उसमें नियम की अवहेलना की गयी है;	स्वीकारात्मक। रंगुनी मौजा अंतर्गत खाता संख्या–209, प्लॉट संख्या–570, 568 एवं 620 कुल रकवा–11.92 ए० गैर आबाद खाते की सरकारी भूमि उपायुक्त, धनबाद के आदेश ज्ञापांक–2692/रा0, दिनांक–06.07.2018 के द्वारा जियाडा को हस्तांतरित की गई है। क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा, बोकारो प्रक्षेत्र के पत्रांक–145, दिनांक–24.02.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड असफी हॉस्पीटल एवं टेंडर रिपल को आवंटित किया गया है। उक्त पत्र के साथ I.A No.10474/19 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–29.11.2019 को पारित आदेश की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें यथा स्थिति बनाये रखने संबंधी आदेश पारित है।
3.	क्या यह बात सही है, कि रंगुनी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कर लीज को निरस्त करते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय उच्च न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा, बोकारो प्रक्षेत्र–सह–उपायुक्त, बोकारो द्वारा संबंधित मामले में आवश्यक आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–16/2020 300 राँची, दिनांक:– 12/03/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–230, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–17 का प्रश्नोत्तर –

<table>
<tr><th></th><th><u>प्रश्न</u></th><th><u>उत्तर</u></th></tr>
<tr><td></td><td>सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स.वि.स.</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड बड़कागाँव के पकरी बरवाडीह तथा केरेडारी के चट्टी बरियातु में एन.टी.पी.सी. द्वारा खनन एवं अन्य कार्य किया जा रहा है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रखण्ड–बड़कागाँव के पकरी बरवाडीह में खनन का कार्य किया जा रहा है। चट्टी बरियातु में खनन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी जंगल झाड़ी को वन क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भी एन.टी.पी.सी. एवं सी.सी.एल. द्वारा (जंगल झाड़ी) का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
प्रखण्ड–बड़कागाँव अन्तर्गत पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना हेतु 543.02 एकड़ जंगल झाड़ी एवं चट्टी बरियातु कोयला खनन परियोजना हेतु 48.32 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि का वन विभाग से स्टेज–I एवं II क्लियरेन्स प्राप्त होने के पश्चात् एन.टी.पी.सी. को क्रमशः वर्ष 2013 एवं 2018 में हस्तांतरित है।
सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड के बिरसा प्रोजेक्ट (नॉर्थ उरीमारी) हेतु बड़कागाँव प्रखण्ड के ग्राम–पोटंगा के रकबा–226.51 हेक्टेयर भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–1154/रा0, दिनांक–01.07.2011 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को प्रेषित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि सी.सी.एल. द्वारा झारखण्ड में कहीं भी गैरमजरूआ आम/खास अथवा जंगल झाड़ी का मुआवजा सरकार को नहीं दिया गया है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियों यथा सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. एवं ई.सी.एल. द्वारा कुल 50381.73 एकड़ सरकारी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग की जा रही सरकारी भूमि के एवज में उक्त कम्पनियों पर राज्य सरकार का सलामी, लगान एवं सेस का कुल बकाया राशि 33324.21 करोड़ रूपये है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>उपयोग की जा रही भूमि (एकड़ में)</th><th>कुल देय राशि (करोड़ रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सी.सी.एल.</td><td>36179.3</td><td>26218.15</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बी.सी.सी.एल.</td><td>6504.8</td><td>5507.15</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ई.सी.एल.</td><td>7697.63</td><td>1598.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>50381.73</td><td>33324.2</td></tr>
</table>
इस विषय को भारत सरकार एवं नीति आयोग के समक्ष भी रखा गया है। दिनांक–23.10.2019 को आहूत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्टैण्डिंग कमिटि की बैठक में रखा गया है।
अध्यक्ष, कोल इंडिया लि0 द्वारा दिनांक–04.02.2020 को झारखण्ड भ्रमण के क्रम में भी इस विषय को उनके समक्ष रखा गया है।</td></tr>
</table>

		विभागीय पत्रांक–519, दिनांक–07.02.2020 द्वारा अध्यक्ष, कोल इंडिया लि0 एवं विभागीय पत्रांक–2602, दिनांक–16.07.19 एवं पत्रांक–647, दिनांक–19.02.2020 द्वारा अध्यक्ष, सह–प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल. से राशि भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार झारखण्ड में कंपनियों द्वारा गैरमजरूआ आम/खास अथवा जंगल झाड़ी में किए गए अबतक के कार्यों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स0मू0 हजारीबाग (वि0स0तारां.)–20/2020...971...(5)/रा., राँची, दिनांक–12-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–285/वि.स., दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/20
सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prasnuttar 2020.docx

296

पत्रांक - 231(S) दिनांक- 12.3.2020

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 13.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–स–55 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के झरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनियाहीर मैदान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोड़ापोखर का निर्माण सहित चिकित्सक आवास, पारा मेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के आवास का निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–134(S), दिनांक 05.11.2009 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः उक्त विभागीय पत्र के द्वारा विभिन्न जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु राशि आवंटित की गयी है।
2. क्या यह बात सही है, कि खण्ड–(01) में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (आवासीय भवन सहित) निर्माण होने के उपरांत भवन प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा इसका हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग धनबाद को नहीं किया गया है, जिसके कारण यह स्वास्थ्य केन्द्र चासनाला में संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (01) में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (आवासीय भवन सहित) का हस्तांतरण लेते हुए नव निर्मित भवन में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोड़ापोखर (डॉक्टर क्वॉटर एवं पारामेडिकल कर्मी आवास सहित) के भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 3,53,59,200/– करोड़ रुपए की लागत पर वित्तीय वर्ष 2008–2009 में दी गई थी । इस योजना का निर्माण कार्य कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा कराया जा रहा है । सिविल सर्जन, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त नवनिर्मित भवन में पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसका हस्तान्तरण तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झरिया–सह– जोड़ापोखर द्वारा नहीं लिया गया है । वर्तमान में नवनिर्मित भवन में उपर्युक्त कमियों को पूर्ण कराकर हस्तगत लेते हुए स्वास्थ्य सेवा बहाल करा दी जाएगी ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 22/20–2316 स्वा0, राँची, दिनांक: 12.3.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 738/वि0स0, दिनांक– 04.03.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2020

अवर सचिव।

(297)

13/नि. (विधान सभा) 01/2020 176 /नि. दिनांक - 11·3-2020

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्रीमती डॉ० नीरा यादव, स.वि.स. द्वारा दिनांक 13.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स.–41 का उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती डॉ० नीरा यादव, मा.स.वि.स.	श्री हाजी हुसैन अंसारी, मा.मंत्री, निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है कि जिला निबंधक का कार्यालय, कोडरमा के पत्रांक–208, कोडरमा दिनांक–16.07.2015 द्वारा निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पत्र प्रेषित की गयी थी, जिसमें पूर्व निर्धारित फ्लैट के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में संशोधन करने के लिए कहा गया था;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–01.08.2011 के प्रभाव से जिला निबंधक–सह–उपायुक्त, कोडरमा के निदेशानुसार कोडरमा/झुमरी तिलैया में अधिसूचित फ्लैट के न्यूनतम मूल्य में 80 प्रतिशत से अधिक का वृद्धि करते हुए तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कोडरमा के द्वारा दिनांक–01.01.2013 से संशोधित दर लागू किया गया, जो प्रचलित बाजार मूल्य एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, स्थित सभी जिलों से अधिक है जिससे जिला में फ्लैट का निबंधन कार्य बाधित है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक** फ्लैटों के लिए मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर तुलनात्मक रूप से निकटतम जिला से अधिक है। वर्तमान निर्धारित दर के अनुरूप नगर पर्षद झुमरी तिलैया में वर्ष 2019 में 14 एवं वर्ष 2020 में वर्तमान तक 7 फ्लैटों का निबंधन किया जा चुका है। फ्लैटों का निबंधन कार्य बाधित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फ्लैट निबंधन के लिए जनहित में न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	न्यूनतम मूल्य बाजार मूल्य से अधिक निर्धारित हो जाने तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में हुई अन्य विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से विभागीय ज्ञापांक–643, दिनांक–06.10.2018 द्वारा झारखण्ड मुद्रांक (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2018 अधिसूचित की जा चुकी है। इस नियमावली की कंडिका–6 द्वारा प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारण में कोई विसंगति हुई है अथवा न्यूनतम मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हो गया है तो इसकी जाँच संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे– अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जिला अवर निबंधक (सदस्य सचिव), अवर निबंधक, नगर निगम/नगरपालिका आदि के कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित अंचलाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग। इस समिति द्वारा जाँच कर संबंधित मौजा/वार्ड के न्यूनतम मूल्य में संशोधन किया जाएगा तथा इसकी सूचना निबंधन महानिरीक्षक को दी जाएगी। कोडरमा जिलान्तर्गत फ्लैट का न्यूनतम मूल्य अधिक निर्धारित हो जाने के संबंध में उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, कोडरमा के पत्रांक–85, दिनांक–07.03.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि इस संबंध में एक माह के अंदर फ्लैट निर्माताओं के साथ बैठक आयोजित कर उत्पन्न समस्याओं पर विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञापांक :–13/नि. (विधान सभा)01/2020 176 /नि. रॉंची, दिनांक 11·3·2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–स.प्र.730 वि0स0, दि.–04.03.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–13/नि. (विधान सभा) 01/2020 176 /नि. रॉंची, दिनांक : 11·3·2020

प्रतिलिपि:– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, निबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव